A 3/6

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	30-3-16 को पेश हो।	
	(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (मु.) नागौर	
30-3-16	पत्रावली पेश हुई। वकुला परिवादी उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी पक्ष पैरवी नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली के विरुद्ध नियम अनुसार तामील कर निर्णय पारित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (मु.) नागौर	

 A 2/1

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–ए.एच.गौरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 109 / 2009

समुन्द्र सिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी संखवास तहसील व जिला नागौर
वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए –
1. जिला कलक्टर नागौर
2. तहसीलदार, नागौर
प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

1. श्री भगवानाराम सारस्वत एडवोकेट — वादी
1. श्री कुन्दनसिंह राजपैरोकार — प्रतिवादीगण

वाद इश्तकरार हक खातेदारी घोषणा, दुरूस्ती रेकर्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय — दिनांक :– 30.3.16

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद इश्तकरार हक खातेदारी घोषणा, दुरूस्ती रेकर्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

खेत हाल खसरा नम्बर 1502 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1143 रकबा 10 बीघा सरहद वाके मौजा संखवास तहसील व जिला नागौर में स्थित है। इन दोनो खेताय पर संवत् 2000 के पूर्व से लेकर आज तक वादी का कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग रहता चला आया है। पूर्व में इन दोनों खेताय पर वादी के पिता हमीरसिंह का कब्जा काश्त उपयोग एंव उपभोग में था लेकिन बाद में उन्होने यह खेत वादी को बन्ट में दिया तथा बाद में वादी के पिता हमीरसिंह का देहान्त हो गया। वादी का कब्जा काश्त उपयोग एंव उपभोग इस खेत पर आज तक बदस्तूर रहता चला आया है। खसरा संख्या 1143 में वादी की रहवासी ढाणी बनी हुई है जिसमें चोमासे में वादी सपरिवार निवास करता है तथा अपने मवेशी चारा फुस आदि रखता आया है। इन दोनों खेतों के आस पास खातेदारी के खेतो से घिरे हुए है। खेतों के चारो तरफ वादी की पुरातन बाड खन्टक, धोरे बन्धे हुए है तथा इन दोनो खेताय के भूमि शुरू से लेकर आज तक काबिल

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

काश्त रहती चली आई है। इन दोनो खेत खसरान का पानी नाडी अथवा तालाब में नही जाता है। इन दोनो खसरान की भूमि शुरू से आज तक काबिल काश्त रही है। इन दोनों खसरान के आस–पास कोई नाडी अथवा तालाब नहीं है। इन दोनो खसरान की भूमि किसी भी सार्वजनिक उपयोग एंव उपभोग नहीं रहीं है। इन खेताय की कृषि आय व कृषि पैदावार से वादी अपना व अपने परिवार का तथा अपने मवेशियों का गुजारा चलाता है। इस जमीन को वादी ने अपनी शारीरिक मेहनत एंव आर्थिक खर्च कर उपजाऊ बनाया है।

इस प्रकार विवादित भूमि पर संवत् 2010 से पूर्व से लेकर आज तक वादी का कब्जा काश्त उपयोग एंव उपभोग रहता चला आने से तथा यह भूमि किसी भी रूप से सार्वजनिक उपयोग की नहीं होने से एंव मारवाड टिनेन्सी एंव उसके बाद में लागू होने वाले राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने के समय एंव उसके पहले एंव उसके बाद वादी का कब्जा काश्त उपयोग एंव उपभोग होने से वादी को बतौर टिनेन्टर कानूनी तौर पर इस भूमि के हक हकूक अधिकार कायम हो चुके थे और रहते चले आये है। मगर पटवारी की लापरवाही से मौके पर जाकर सही रूप से गिरदावरी नहीं किये जाने से और सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 1143 को अंगौर दर्ज कर दिया तथा खसरा नम्बर 1502 को शामिलात देह तालाब खुद काश्त इन्तजाम मुशियाना सहखातेदार दर्ज कर दिया है। जिसकी भूमि बारानी दोयम बतायी गई है जो इन्द्राजात तमाम गलत रूप से दर्ज किये गये है। वादी वक्त सेटलमेंट इन दोनो खेताय की खातेदारी हक अधिकार अपने नाम इन्द्राज कराने का अधिकारी होने के बावजूद भी सेटलमेन्ट अधिकारियों ने ऐसा नहीं करने में बडी भारी भूल की है। मौके पर न तो कोई अंगौर है और न कोई तालाब है। सम्पूर्ण भूमि शुरू से आज तक काबिल काश्त रहती चली आई है। संवत् हाल में वादी की सावणू फसल बोयी हुई है।

उपरोक्त खेताय वादी का कब्जा काश्त संवत् 2010 से लेकर आज तक बदस्तूर रहता चला आया है लेकिन राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से गलत इन्द्राज किये जाने से वादी के खिलाफ धारा 91 रा.भू.रा.अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जाती रही है। जिसकी जवाबदेही वादी करता आया है तथा समय–समय पर जुर्माना भी जमा करवाया है लेकिन 2010 के पूर्व से लेकर आज वादी को भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त सभी तथ्यों एंव परिस्थितियों के अनुसार वादी अपने पक्ष में इश्तकरार हक घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती रेकर्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रति वादीगण के खिलाफ प्राप्त करने का अधिकारी है लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इसी वर्ष सावणू काश्त करने पर भौतिक रूप से बेदखल करने की धमकी दी है। इसलिए वादी ने मजबूर होकर दिनांक 02.06.2009 को अपने अधिवक्ता के मार्फत धारा

सहायक कलक्टर (S.) जालौर

80 सी.पी.सी. का नोटिस दिलवाया है जो नोटिस प्रतिवादीगण को मिल गया लेकिन नोटिस के मिलने के बावजूद नोटिस की कोई अनुपालना नहीं की तथा न ही कोई जवाब दिया तथा वादी को विवादित खेताय से बेदखल करने को आमादा है। इसलिए प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल हो गये तो वादी को बडी भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए घोषणा खातेदारी दुरूस्ती रेकर्ड स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। इसे स्वीकार किया जाकर उपरोक्त दोनो खेताय की खातेदारी वादी के नाम से घोषित की जाकर तमाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है।

बिनाय दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादी का कब्जा काश्त उपयोग एंव उपभोग संवत् 2010 में बतौर खातेदार काश्तकार कायम हो गया तथा रहता चला आने से ओर मारवाड टिनेन्सी एक्ट तथा राजस्थान टिनेन्सी लागू होने बाद एंव उसके पूर्व लागू होने के वक्त उसके पूर्व एंव पश्चात् वादी का कब्जा काश्त उपयोग एंव उपभोग लगातार निर्बाध एंव निरन्तर रूप में रहता चला आने से वादी के इस भूमि के हक हकूक खातेदारी अधिकार कायत होने के बावजूद भी काबिल काश्त किसी भी भूमि का गलत रूप से गैर मुमकिन अंगौर व तालाब दर्ज कर दिया है। जो मौके की स्थिति में विपरीत दर्ज किये है। इसी प्रकार पुराने कब्जे के आधार पर एंव खातेदारी अधिकार इन्द्राज का अधिकार होने के बावजूद भी राजस्व रेकर्ड को इन्द्राज नहीं किये जाने से तथा बावजूद धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस की अनुपालना नहीं किये जाने से बमुकाम संखवास तहसील नागौर में पैदा हुआ है।

इस्तदुआ वादी निम्न है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमायी जावें–

(1) खसरा नम्बर 1502 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1143 रकबा 10 बीघा कुल भूमि 15 बीघा 14 बिस्वा पर मौजा संखवास तहसील नागौर वादी के एक मात्र कब्जा काश्त खातेदारी होने की घोषणा की जावें।

(2) उपरोक्त घोषणा अनुसार तमाम राजस्व रेकर्ड अधिकार अभिलेखों में वादी के नाम का इन्द्राज किया जावें तथा रेकर्ड दुरूस्त किया जावे।

(3) वादी के उपरोक्त दोनो खेतो प्रतिवादी द्वारा दखल दस्तन्दाजी करने तथा कराने से जरिए स्थायी निषेधाज्ञा रोका जावें।

प्रतिवादी राजपैरोकार ने जवाब पेश कर कथन किया कि वादगत भूमि गैर मुमकिन अंगौर सरकारी भूमि होने से वादी का वाद खारिज किया जावें।

तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई–

सहायक कलक्टर (प्र.)
नागौर

1. आया ग्राम संखवास के खसरा नम्बर 1502 की 5.04 बीघा व खसरा नम्बर 1143 की 10 बीघा कुल 15.14 बीघा वादी के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है। (जिम्मे वादी)

2. अनुतोष

साक्ष्य के रूप में वादी सुरेंन्द्र सिंह पुत्र हमीरसिंह ने शपथ पत्र अधीन आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 से 24 है। जिन्हे प्रदर्शित करवाया गया, गवाह उदयसिंह पुत्र गणपतसिंह, लाखनसिंह पुत्र जब्बरसिंह, भारतसिंह पुत्र दलपतसिंह, प्रभुसिंह पुत्र शेरसिंह, भगवानसिंह पुत्र भींवसिंह व सुरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासीगण संखवास ने शपथ पत्र अधीन आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश कर शपथ पत्र पेश करना व उसमें लिखी बाते सत्य व सही होना तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावें, खातेदारी दर्ज की जावें। राजस्व रिकॉर्ड में गलती से अंगौर दर्ज हुआ है। बहस की दौरान प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त भूमि गैर मुमकिन अंगौर होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुसार वाद वादी खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादी ने यह वाद ग्राम संखवास के खसरा नम्बर 1143 की 10 बीघा तथा खसरा नम्बर 1502 की 5.04 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। जिसमें वादी का कथन है कि संवत् 2010 से पूर्व वादी उक्त खसरान की भूमि पर काबिज काश्तकार है। अपने वाद के समर्थन में वादी ने प्रदर्श–1 ता 24 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है। मुताबिक प्रदर्श–14 नकल जमाबंदी संवत् 2064–67 खसरा नम्बर 1143 की 33.01 बीघा भूमि गैर मुमकिन अंगौर दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के गत खसरा नम्बर क्या थे उसके लिए मिलान क्षेत्रफल वादी द्वारा पेश किया गया है परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल व नक्शा प्रदर्श 17, 18, 19 का अवलोकन करने से खसरा नम्बर 1143 के गत खसरान 1117 व 903 का भाग है। मुताबिक खसरा गिरदावरी प्रदर्श–12 से खसरा नम्बर 1117 व खसरा नम्बर 903 को संवत् 2011 में भी गैर मुमकिन अंगौर दर्ज चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होते समय अर्थात संवत् 2012 में धारा 16 के अन्तर्गत गैर मुमकिन अंगौर प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में होने एंव

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुसरण में वादी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं हो सकते है। इसी तरह खसरा नम्बर 1502 की 5.04 बीघा भूमि गत खसरा नम्बर 1374 से बनी है। मुताबिक प्रदर्श– 12 मे खसरा गिरदावरी संवत् 2011 डोली बनाम करडा नाडा में दर्ज है जो कि वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श–15 के अनुसार शामलाती देह तालाब खुदकाश्त इन्तजाम सियान के नाम दर्ज है। उक्त रकबे पर भी वादी को खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं हो सकते है। अतः वाद वादी साबित नहीं होने के कारण उपर्युक्त विवेचन के आधार पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30-3-16 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ए. एच. गौरी)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

Judl./Civil
Part IV-10

A 8/1

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत.सहायक कलक्टर (मु.) मुकाम नागौर बइजलास ए. एच. गौरी. आर. ए. एस.

समुन्द्र सिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी संखवास तहसील व जिला नागौर
वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए –
1. जिला कलक्टर नागौर
2. तहसीलदार, नागौर

प्रतिवादीगण

वाद इश्तकरार हक खातेदारी घोषणा, दुरूस्ती रेकर्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं 109 सन् 2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ———— बहाजरी ———— मिनजानिब मुदई ब ———— मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद वादी साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

बीज ——— मुबलिग. ——— बाबत् ——— खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ——— फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. ——— .को अदा करें।

बसब्त मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.03.2016 को जारी की गई ।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	–	–	स्टाम्प वकालात नामा	–	–
स्टाम्प वकालात नामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महनताना वकील पर	–	–
महनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	–	–
मुतफर्रिक	–	–			
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट:– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर